भाग-III

हरियाणा सरकार

पर्यावरण विभाग

अधिसूचना

दिनांक 8 अगस्त, 2014

संख्या का०आ० 87/के०अ० 6/1974/धा० 4/2014.— चूंकि हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन हरियाणा सरकार, पर्यावरण विभाग, अधिसूचना संख्या 2/22/2008-1 पर्या0, दिनांक 21 नवम्बर, 2008 के द्वारा किया गया था;

और चूंकि राज्य सरकार ने अपने आदेश पृष्ठांकन संख्या 2/22/2008-1 पर्या0, दिनांक 23 दिसम्बर, 2011 द्वारा हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया था तथा अध्यक्ष तथा सदस्य-सचिव को छोड़कर सदस्यों को तीन वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किया था;

और चूंकि बोर्ड का पूर्णकालिक अध्यक्ष नामनिर्दिष्ट करना समीचीन हो गया है;

इसलिए, अब, जल (प्रदूषण निवारण और नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 6), की धारा 5 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, प्रोफेसर सुरेन्द्र देसवाल, सिविल इंजीनियरिंग विभाग, राष्ट्रीय प्रोद्यौगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र, हरियाणा को तीन वर्ष की अवधि के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नामनिर्दिष्ट करते हैं।

अध्यक्ष के निबन्धन तथा शर्तें बाद में जारी की जाएंगी।

डॉ0 महावीर सिंह,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
पर्यावरण विभाग।